

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2
लखनऊ: दिनांक: 01-07-2025

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निदेशक ग्रेड (वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-14) के चिकित्साधिकारी डा० दिनेश कुमार (व०क्र०-7543), निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ को महानिदेशक ग्रेड (वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-15) के रिक्त पद के सापेक्ष पदोन्नत करते हुए महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ के पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त पदोन्नति के आदेश विभिन्न मा० न्यायालयों/मा० अधिकरणों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

3- डा० दिनेश कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी नवीन तैनाती के पद/स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन में उपलब्ध करायें।

(रितु माहेश्वरी)

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (प्रथम), उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
4. महानिदेशक, प्रशिक्षण (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), उ०प्र०, शासन।
5. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
6. समस्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ।
8. अधिशासी निदेशक, उ०प्र०, तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ को इस अनुरोध सहित कि उक्त आदेश को मानव सम्पदा साफ्टवेयर में अपलोड कराने का कष्ट करें।

9. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, 30प्र0, लखनऊ।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त प्रमुख अधीक्षक/अधीक्षिका/मण्डलीय पुरुष/महिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
14. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
15. संबंधित चिकित्साधिकारी।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रितु माहेश्वरी)

सचिव।